

Topic 1 :- सरिस्का टाइगर रिजर्व और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

चर्चा में क्यों :- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राजस्थान सरकार को आदेश दिया गया था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास इसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी भी खदानें हैं उन्हें बंद कराया जाए।

सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 68 खदानें हैं इन सभी को बंद करने का निर्णय दिया गया है।



क्यों की जानी है ये सभी बंद :-

- इन खदानों से अवैध खनन के कार्य किया जाता है
- अवैध खनन के कारण इस महत्वपूर्ण बाघ आवास में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वह चाहता है की जितनी भी अवैध गतिविधियां होती हैं इन्हें बंद किया जाए जिससे बाघों के इस प्राकृतिक आवास को संरक्षित किया जा सके।

- सुप्रीम कोर्ट 1990 के दशक से इस संदर्भ में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय दे चुका है।
- इस क्षेत्र में अवैध खनन 1990 से ही एक बड़ी समस्या रही है
- सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह जो निर्णय दिया गया है इस निर्णय में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के को ध्यान में रखा।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 दोनों ही अधिनियम स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्यों के पास उत्खनन की अनुमति नहीं होगी।

सरिस्का टाइगर रिजर्व एवम ऐतिहासिक संदर्भ और न्यायिक हस्तक्षेप :-

- सरिस्का में खनन के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सबसे पहले अक्टूबर 1991 में एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन के द्वारा पीआईएल के माध्यम से लाया गया।
- पीआईएल पर तुरंत अंतरिम आदेश के माध्यम से रिजर्व में खनन कार्य को रोक दिया गया
- साथ ही न्यायमूर्ति एम.एल. जैन ने सर्व कमेटी का गठन किया। और आदेश दिया कि 800 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है जिसका संरक्षण करना जरूरी है।
- सरिस्का के संदर्भ में न्यायालय का अगला महत्वपूर्ण आदेश अप्रैल 1993 में आया जिसमें अदालत ने इस क्षेत्र की 262 खदानों को बंद करने का आदेश दिया।
- 2000 के दशक के केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में बताया गया की अभी भी इस क्षेत्र में अवैध खनन का उल्लंघन हो रहा था।
- जिस कारण न्यायालय ने और अधिक कठोर आदेश दिए जिसमें रिजर्व के चारों ओर 1 किलोमीटर का सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कहा।
- 2020 आते-आते जब स्थिति और गंभीर हुई और निरंतर चुनौतियों से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट ने और शख्त रुख अपनाया
- 2014 में सरिस्का रिजर्व के जमुआ रामगढ़ के आसपास का एक किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया जिसके अंदर किसी भी प्रकार के खनन को रोकने के अपने द्वारा 2006 में दिए निर्णय की पुष्टि की।
- 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में कुछ रियायत दी लेकिन इस क्षेत्र को नो मीनिंग जोन घोषित कर दिया।
- परंतु वर्तमान में भी इस क्षेत्र में अवैध प्रकार से खनन का कार्य जारी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए इस क्षेत्र के एक किलोमीटर के अंतर्गत 68 स्थान को चिन्हित किया है जिन पर जल्द से जल्द रोक लगाई जानी है

सरिस्का टाइगर रिजर्व:

यह टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर ज़िले का एक भाग है यह अरावली पहाड़ियों में स्थित है और । इसे 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था

बाघ अभयारण्य 1978 में घोषित किया गया। 1978 के बाद से ही यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बना।

इस रिजर्व का एक इतिहास भी है

इस रिज़र्व में कंकरवाड़ी नामक किला स्थित है जन श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि मुगल बादशाह है औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाई तारा से को पराजित कर इसी किले में कैद करके रखा था।

मुख्य जीव:

सांभर, चीतल, रॉयल बंगाल टाइगर तेंदुए, नीलगाय, आदि ।

राजस्थान के अन्य संरक्षित क्षेत्र:

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर

डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जंक्शन पर)।

Topic 2 :- ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत

यह ईरान के राष्ट्रपति 2021 में बने थे। यह ईरान के आठवें राष्ट्रपति थे । यह ईरान के चीफ जस्टिस भी रहे हैं । यह पहले ईरान के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया।



रईसी अजरबैजान के दौरे पर थे । यहां पर वह राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने आए थे। हेलीकॉप्टर से वापस ईरान जाते समय दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई

यह दुर्घटना अजरबैजान की सीमा के निकट ईरान के वरजेघन शहर के हुई । जहां दुर्घटना हुई बह पहाड़ी इलाका है।

इनके ऊपर आरोप लगता है कि जस्टिस रहते हुए इन्होंने ईरान में 5000 राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी थी।

Topic 3 :- "भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)"

चर्चा में क्यों :- हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के मध्य "भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)" चर्चा हुई।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में

- आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल होंगे, पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।
- यह IMEC गलियारे में समुद्री मार्गों के साथ ही रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे।
- साथ ही एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल प्रोग्राम को भी सामिल किया गया है।

IMEC गलियारे के लक्ष्य :- एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ना है।

इस योजना की स्थापना G20 शिखर सम्मेलन (2023) जिसका आयोजन भारत में किया गया था उसी समय भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था।

IMEC गलियारे में जोड़े जाने वाले बंदरगाह:-

भारत: - कांडला (गुजरात), मुंद्रा (गुजरात), और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (नवी मुंबई)।

मध्य पूर्व में: संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा, ज़ेबेल अली और अबू धाबी के साथ ही सऊदी अरब में दम्मम तथा रास अल खैर बंदरगाह।

रेलवे लाइन के माध्यम से फुजैरा बंदरगाह (UAE) को सऊदी अरब (घुवाईफात और हराद) तथा जॉर्डन के माध्यम से हाइफा बंदरगाह (इज़राइल) से जोड़ा जाएगा।

इज़राइल: हाइफा बंदरगाह

यूरोप: ग्रीस में पीरियस बंदरगाह, दक्षिण इटली में मेसिना और फ्रांस में मार्सिले।

IMEC गलियारे का महत्त्व :-

- यह गलियारा चीन की "बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव" (BRI) का एक विकल्प उपलब्ध करा सकता है।
- सभी सदस्य राष्ट्रों तथा अन्य राष्ट्रों के मध्य ऊर्जा और डिजिटल संचार को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा।
- पश्चिमी देशों के बाहर नई शक्तियों के उभरने का मौका मिलेगा।
- भारत को अरब देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का मौका मिलेगा।
- भारत, मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने का मौका मिलेगा।

IMEC से जुड़ी चुनौतियां :-

इसराइल इस गलियारे का महत्वपूर्ण भाग है परंतु मध्य एशिया के कई देशों के साथ उसके संबंध अच्छे ना होने के कारण इस गलियारे के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है

जैसे की :-

इसराइल और सऊदी अरब के मध्य कूटनीतिक संबंधों में अधिक तीव्रता ना होना।

इजरायल-हमास-ईरान संघर्ष।

परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधानों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

Topic 4:- विश्व मधुमक्खी दिवस

प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस (World Bee Day) मनाता है यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है।

World Bee Day



मधुमक्खियों के बारे में

- मधुमक्खियां को परागणक (Pollinators) माना जाता हैं। ये खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करती हैं।
- लगभग नब्बे प्रतिशत जंगली फूलों के पौधों को सफल यौन प्रजनन के लिए पराग को स्थानांतरित करने के लिए मधुमक्खियों जैसे परागणकों की आवश्यकता होती है।
- प्रत्येक मधुमक्खी में 5 आंखें, 3 जोड़े पैर और 4 पंख पाए जाते हैं।
- मधुमक्खियां वैगल नृत्य (Waggle dance) करती हैं यह नृत्य आपस में आहार के स्रोतों के बारे में एक दूसरे को बताने के लिए किया जाता है।
- मधुमक्खियां एक विशेष प्रकार का रालयुक्त पदार्थ उत्पादित करती है जिसे प्रोपोलिस कहा जाता है ।

प्रोपोलिस पदार्थ का उपयोग :-

- आक्रमणकारियों से छत्तों की रक्षा करने के लिए ।
- छत्तों को टूटने से रोकने के लिए ।
- छत्तों में बैक्टीरिया और कवक को अपना घर बनाने से रोकने में हतोसाहित करने के लिए।
- इंटरनेशनल पोलिनेटर इनिशिएटिव (IPI) पहल का संबंध मधुमक्खियां से है